1-7-09 प्रार्थी प्रार्थिनी के अधिवक्ता को बार-बार समय देकर आवाज दिलवायी गई परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र आवाई निर्देशानुसार अदम हाजरी एवं अदम पैरवी तलबाना के अभाव में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार दर्ज रजिस्टर से कम हो तबाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible] हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)